न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 100/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 4.8.2016
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. बंशीलाल आत्मज बिहारी लाल जाति अहीर निवासी ग्राम धोलाडा तहसील छबडा जिला बांरा।

...अपीलाट

बनाम

1 श्रीमती केदार पत्नी हरिचरण जाति अहीर निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बांरा।
2 सरपंच ग्राम पंचायत कोटडापार पंचायत समिति छबडा जिला बांरा।
3 दी स्टेट आफ राजस्थान ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलाट
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक रेस्पो0 कम–1

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक 24.01.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उप जिला कलक्टर छबडा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 5/2015 अवील इन्तकाल बउनवान केदारबाई बनाम बंशीलाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 19.1.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि वाके ग्राम धोलाडा मे स्थिति आराजी कुल किता 8 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा बन्शीलाल पुत्र बिहारीलाल हि0 1/2 रामपाल पुत्र छत्रसिंह व कल्लो बाई पुत्री छत्रसिंह हि0 1/2 का कल्लोबाई के फोत होने उपरांत सरपंच ग्राम पंचायत कोटडापार द्वारा उक्त आराजी का बंशीलाल पुत्र बिहारीलाल हि0 1/2 रामपाल पुत्र छत्रसिंह हि0 1/2 कौम अहीर स्वीकार किये गये नामा0 सं0 350 दिनांक 2.10.2010 से अप्रसन्न होकर केदारबाई द्वारा न्यायालय एस0डी0ओ0 छबडा मे अपील इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट (केदारबाई) के मामा का नाम सं0 2050–53 खातासं0 38 मे मामा का नाम सहवन से रामदयाल के स्थान पर रामपाल दर्ज हो गया। बंशीलाल ने भूमि हडपने की नियत से कल्लोबाई को लाऔलाद बताते हुये वारिसो को छिपाते हुये उक्त नामा0 मामा रामदयाल ने अपने पक्ष मे दर्ज करवा लिया जो कुंवारा (अविवाहित) था तथा रामदयाल का दिनांक 29.9.2015 को स्वर्गवास हो गया। अतः नामा0 सं0 350 निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी मे अपीलांट का नाम दर्ज करने एवं राजस्व रिकार्ड मे रामपाल पुत्र छत्रसिंह के स्थान पर रामदयाल दर्ज किये जाने का तहसीलदार छबडा को आदेश प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 सं0 350 दिनांक 2.10.2010 ग्राम धोलाडा को रिमांड कर मृतको के वारिसान को विधिवत सुनकर 45 योम मे आदेश पारित करने का दिनांक 19.1.2016 को निर्णय पारित

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट बंशीलाल द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का का आदेश विधि एवं न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यो के विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने केदारबाई द्वारा प्रस्तुत मियाद बाहर अपील को स्वीकार कर त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि कन्टेस्टेड नामा0 को श्रवण करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही होकर तहसीलदार को है। रेस्पो0 नं0 1 केदार का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त भूमि बिहारीलाल के देहावसान के उपरांत उनके दोनो बेटे बंशीलाल एंव छत्र सिंह के शामलाती खाते मे बंधी तथा छत्रसिंह के देहावसान के उपरान्त उनके पत्रु रामपाल (वर्तमान मे ला औलाद फोत)एवं कल्लो (फोत) के खाते दर्ज हुई थी। कल्लो की शादी मांगीलाल से हुई मांगीलाल के दो पत्नीयां कल्लो व रामबाई थी, कल्लोबाई के कोई औलाद नही हुई तथा मांगीलाल से रामबाई के पुत्री पैदा हुई उसका नाम केदार बाई था जो रेस्पो0 क्रम–1 है इसलिये कल्लो की केदार बाई से किसी प्रकार से वारिस नही है तथा ना ही भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार है। पक्षकारान के मध्य इसी भूमि एवं विरासत के संबध मे नियमित वाद जेरकार है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण की कार्यवाही को पेंडिंग रखना चाहिये तथा अथवा दावे के निर्णय के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 19.1.2016 निरस्त किया जाकर नामा0 सं0 350 ग्राम धोलाडा बहाल किये आदेश का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 सुनी गई। रेस्पो0 क्रम–2 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया भू राजस्व अधिनियम मे ग्राम पंचायत को केवल अविवादित नामान्तरकरण को ही तस्दीक करने का अधिकार है चूंकि विवादित आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य रेगूलर वाद जेरकार है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत को रिमांड कर त्रुटि की है। कन्टेस्टेड नामान्तरकरण के संबध मे शक्तियां तहसीलदार को प्रदत्त है। प्रत्युत्तर मे बहस मे बताया कि इनके द्वारा प्रस्तुत आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से भी पक्षकारान के मध्य अपील न्यायालय आरएए मे जेरकार होना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा प्रारम्भिक स्टेज पर ही नामा0 की अपील माननीय न्यायालय मे जेरकार होना मानते निर्णय दिनांक 28.5.2016 को वाद खारिज किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट को माननीय न्यायालय मे अपील पेश कर निस्तारण करवाना आवश्यक हो गया था। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरडी 1993 पेज 603 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये प्रकरण तहसीलदार को रिमांड करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये विवादित आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य अपील न्यायालय मे आरएए मे लम्बित होना जाहिर किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 1993 पेज 603 आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी तथा जवाब प्रार्थना पत्र विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर गौर करने पर प्रकट होता है कि विवादित आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य जेरकार रेगूलर वाद मे पारित निर्णय दिनांक 28.5.2016 के विरूद्ध अपील न्याया0 आरएए मे लम्बित है जो प्रकरण मे निर्विवाद तथ्य है। अतः प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज होने से न्यायहित मे रिकार्ड पर लिये जाते है। दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि केदारबाई द्वारा नामा0 सं0 350 दिनांक 2.10.2010 ग्राम धोलाडा के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को

अधि० स० आयु०

जेरअपील निर्णय दिनांक 19.1.2016 से ग्राम पंचायत कोटडापार को रिमांड किया है। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजात से नामा0 मे दर्ज भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद होना प्रकट है तथा जिसकी वर्तमान मे अपील न्यायालय आरएए मे लम्बित है। राज0 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो के अनुसार कन्टेस्टेड नामान्तरकरण को तस्दीक करने की शक्तियां केवल तहसीलदार को प्रदत्त है ग्राम पंचायत को कन्टेस्टेड नामा0 तस्दीक करने की शक्तिया प्राप्त नही है। इस संबध मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 1993 पेज 603 प्रश्नगत प्रकरण मे चस्पा होता है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 सं0 350 को ग्राम पंचायत धोलाडा को रिमांड करने संबधी जेरअपील निर्णय दिनांक 19.1.2016 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 5/2015 उनवान केदारबाई बनाम बंशीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 19.1.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा प्रकरण सं0 5/2015 उनवान केदारबाई बनाम बंशीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 19.1.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 24.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा